बिहार विधान परिषद् — दैनिक विवरणिका

संख्या- 3 — सत्र- 187वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 29.11.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 4.25 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण में परिवर्तित करने की आसन की घोषणा

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने आसन से आग्रह किया कि इसे ध्यानाकर्षण में परिवर्तित कर दिया जाय, सरकार इसका पूरा उत्तर देगी। इसपर आसन से नियमन दिया गया कि ठीक है।

2. कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने राज्य की विधि-व्यवस्था के संबंध में अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अस्वीकृति के आधार संख्या-4,5,16 एवं 25 के आलोक में इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 15 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 16 सदन पटल पर रखा गया।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 11 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि धार्मिक न्यास बोर्ड से मंगाकर अतिक्रमणमुक्त करा दें, माननीय मंत्री इसको करा दें।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 23, 24, 25, 26, 28, 32 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 27, 29, 30, 31 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 33, 34, 35, 36, 38 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 37 अनागत हुआ।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 24 पर माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने यह प्रश्न उठाया कि राजस्व मंत्री जी के बदले पर्यटन मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जिसपर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह नियमन देने की कृपा की कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, राजस्व मंत्री जी उस सदन में हैं, इसलिए पर्यटन मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 28 पर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि उत्तर आ गया कि सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या- 30 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि हम इसको अलग से देख लेंगे, हम वीरेन्द्र बाबू, आपसे, विभाग से और दोनों माननीय मंत्रियों, शिक्षा मंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से इसके समाधान के लिए बात करेंगे।

(इस अवसर पर सत्तापक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सुनियेगा कैसे नहीं, सरकार का उत्तर हो रहा है तो सुनिए। हम क्या करेंगे, यह फैसला आप मत कीजिए।)

4. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में निम्नलिखित विधेयक, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28.11.2017 की बैठक में पारित हुए, सदन की मेज पर रखे गए-

1. बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017
2. बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017

5. **आसन को सूचना**

1. माननीय सदस्य, श्री मो. कमर आलम ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया कि 12000 उर्दू के टी.ई.टी. उम्मीदवारों के अनशन, उनपर लाठीचार्ज एवं उन्हें दी जा रही यातना के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

2. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने वर्ष 2011 से वित्तरहित और अनुदानित इंटर और डिग्री कालेजों को अनुदान नहीं मिलने के संबंध में आसन का ध्यान सूचना के माध्यम से आकृष्ट किया, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने भी किया।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

पुन: माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने अपने कार्यस्थगन के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसपर माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि आपके कार्यस्थगन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकृत कर दिया था। माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी सहित राजद के माननीय सदस्यों ने कार्यस्थगन पर बहस की मांग की लेकिन माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने कहा कि कार्यस्थगन अस्वीकृत हो गया, नियमन भी हो गया तो उसपर बहस कैसे हो सकती है? कार्यसंचालन नियमावली सबलोग जानते हैं परंतु राजद के माननीय सदस्यगण कार्यस्थगन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए हाथों पर पोस्टर लहराते हुए सदन वेश्म में चले आये जबकि इस दौरान माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से लगातार सरकार बिरोधी बातें बोलती रहीं।

6. **शून्यकाल**

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. डा. वीरेन्द्र नारायण यादव
2. श्री राधाचरण साह
3. श्री रामचन्द्र भारती
4. प्रो. नवल किशोर यादव

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि सभी शून्यकाल की सूचनाएं शून्यकाल समिति को सुपुर्द की जाती है।

(इस बीच सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराहन तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।)

(अंतराल)

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी सहित राजद के माननीय सदस्यों ने राज्य की विधि-व्यवस्था के संबंध में दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में पुन: चर्चा की मांग की । तदुपरांत माननीय सदस्यगण नारेबाजी करते हुए सदन वेश्म में चले आए, जबकि माननीय सदस्या श्रीमती राबड़ी देवी अपने स्थान से बोलती रहीं। इसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि आप लिखकर दे दीजिए, 1 दिसंबर को इसका उत्तर होगा, बैठ जाइये। ध्यानाकर्षण में यह आएगा। ऐसे नहीं कीजिए, ध्यानाकर्षण चलने दीजिए। आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि माननीय सदस्य, अपने स्थानों पर चले जाएं, तब सभी माननीय सदस्यगण सदन वेश्म से अपने स्थानों पर चले गये।

7. **परिनियत कार्य**

1. माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत निर्गत 82 अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 एवं इसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

8. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा दरभंगा शहर में अवस्थित चन्द्रधारी संग्रहालय एवं महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के सम्यक् संचालन एवं विकास के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्ण कुमार ऋषि ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा पटना नगर के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के सेक्टर-4 में भूतनाथ रोड के पूरब किडजी स्कूल के समीप पार्क को निर्मित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री प्रमोद कुमार ने वक्तव्य दिया।

   आसन का नियमन

   आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय मंत्री, अलग से उनको उत्तर भिजवा देंगे, साथ ही माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार एवं श्री संजय प्रसाद को भी एक प्रति दे दीजिएगा।

3. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा राज्य के शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किए जा रहे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं मास्टर प्लान में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री राधा चरण साह द्वारा पटना जिला में शौचालय निर्माण में बरती जा गई अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय की मांग की गई।

5. माननीय सदस्य, श्री दुनजी पाण्डेय द्वारा सिवान जिलान्तर्गत हसनपुरा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के भवन का निर्माण जलालपुर में कराने के संबंध में ध्यानाकर्षण।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

6. माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार सिंह एवं श्री अवधेश नारायण सिंह द्वारा बेगूसराय जिला में वरीय उप समाहर्त्ता के साथ संबद्ध नियोजन मुक्त कार्यपालक सहायकों को नियोजित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

9. **राजकीय विधेयक**

1. **बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(माननीय मंत्री के उत्तर के दौरान राजद एवं कांग्रेस के माननीय सदस्य उठकर सदन से बाहर चले गये।)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

2. **बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017**

डा. प्रेम कुमार, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

डा. प्रेम कुमार, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

(अंतराल)

10. **औपचारिक कार्य**

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसरण में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 29.11.2017 की बैठक में पारित हुआ, सदन की मेज पर रखा गया।

11. **राजकीय विधेयक**

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री जय कुमार सिंह, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री जय कुमार सिंह, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित हो।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

12. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री केदार नाथ पाण्डेय
3. श्री संजीव श्याम सिंह
4. प्रो. नवल किशोर यादव
5. श्री नीरज कुमार
6. श्री सोने लाल मेहता
7. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
8. श्री रामचन्द्र भारती
9. श्री राधाचरण साह
10. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
11. श्री सी.पी. सिन्हा
12. प्रो. संजय कुमार सिंह
13. श्री सलमान रागिब

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 30.11.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

शर्मा 29/11/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 2044 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 29.11.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 29-11-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।